रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277780
CG-DL-E-07112026-277780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5824] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5824] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

का.आ. 6056(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 543 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 91+700 तक (डिंडोरी से मंडला-रोड) (तहसील घुघरी) का निर्माण (चौड़ीकरण/दो -चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविजनल मजिस्ट्रेट घुघरी, जिला मंडला, को लिखित रूप मे किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के जिले मंडला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 543 के कि.मी. 25+000 से कि.मी. 67+200 तक (डिंडोरी से मंडला-रोड) (तहसील घुघरी) के निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण |

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: मंडला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: घुघरी					
गांव का नाम: खाले गिठौरी					
1	478	निजी	असिंचित	0.1036 (हेक्टेयर)	0.1036
2	479	निजी	असिंचित	0.2312 (हेक्टेयर)	0.2312
गांव का नाम: बगली					
3	37/1	निजी	असिंचित	0.8 (हेक्टेयर)	0.8
4	53/1	निजी	असिंचित	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
गांव का नाम: खैरी माल					
5	365/1/1	निजी	असिंचित	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
6	365/3	निजी	असिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: इन्द्र माल					
7	165/1	निजी	असिंचित	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
8	165/2/1	निजी	असिंचित	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
9	165/2/2	निजी	असिंचित	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
10	165/2/3	निजी	असिंचित	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
11	187/4	निजी	असिंचित	0.1936 (हेक्टेयर)	0.1936
12	187/7	निजी	असिंचित	0.1056 (हेक्टेयर)	0.1056
13	187/8	निजी	असिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
गांव का नाम: इन्द्र रैयत					
14	132/2	सामान्य	सड़क / असिंचित	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
15	14/1/1	निजी	असिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04

16	14/1/1/1	निजी	असिंचित	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
17	14/1/2	निजी	असिंचित	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
18	89/4	निजी	असिंचित	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
19	89/5	निजी	असिंचित	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
गांव का नाम: मोहगांव रैयत					
20	199/3	निजी	असिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
21	293/5	निजी	व्यावसायिक	0.0324 (हेक्टेयर)	0.0324
22	305/2/1	निजी	कृषि	0.067 (हेक्टेयर)	0.067
				Total	3.2144

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/40/2018-19/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

S.O. 6056(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/2-4 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway no.**543** in the stretch of land from **Km. 0+000 to km. 91+700 (Dindori to Mandla Road) (Tehsil-Ghughari)** in the district of **Mandla** in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Sub Divisional Magistrate Ghughari,** District **Mandla,** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, eitherallow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this nitification are available and can be inspected by by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from **Km. 25+000 to km. 67+200 (Dindori to Mandla Road) (Tehsil-Ghughari)** National Highway no. **543** in the district of **Mandla** in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			**District: MANDLA**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Ghughari					
Village: Khalhe Githauri					
1	478	Private	Non Irrigated	0.1036 (Hectare)	0.1036
2	479	Private	Non Irrigated	0.2312 (Hectare)	0.2312
Village: Bagli					
3	37/1	Private	Non Irrigated	0.8 (Hectare)	0.8
4	53/1	Private	Non Irrigated	0.17 (Hectare)	0.17
Village: Khairi Mal.					
5	365/1/1	Private	Non Irrigated	0.1 (Hectare)	0.1
6	365/3	Private	Non Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
Village: Indra Mal					
7	165/1	Private	Non Irrigated	0.18 (Hectare)	0.18
8	165/2/1	Private	Non Irrigated	0.22 (Hectare)	0.22
9	165/2/2	Private	Non Irrigated	0.37 (Hectare)	0.37
10	165/2/3	Private	Non Irrigated	0.17 (Hectare)	0.17
11	187/4	Private	Non Irrigated	0.1936 (Hectare)	0.1936
12	187/7	Private	Non Irrigated	0.1056 (Hectare)	0.1056
13	187/8	Private	Non Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
Village: Indra Ryt.					
14	132/2	Common	Road/ Non Irrigated	0.035 (Hectare)	0.035
15	14/1/1	Private	Non Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
16	14/1/1/1	Private	Non Irrigated	0.08 (Hectare)	0.08
17	14/1/2	Private	Non Irrigated	0.026 (Hectare)	0.026
18	89/4	Private	Non Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
19	89/5	Private	Non Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
Village: Mohgaon Ryt.					
20	199/3	Private	Non Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
21	293/5	Private	Commercial	0.0324 (Hectare)	0.0324
22	305/2/1	Private	Irrigated	0.067 (Hectare)	0.067
				Total	**3.2144**

[F. No. CE-RO BPL/30010/40/2018-19/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.11.07 11:17:19 +05'30'